

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 188]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. ए-3-2-2010-1-पांच(40).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिए,—

(1) उन व्यक्तियों को, जो नीचे खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट माल को, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर किसी स्थानीय क्षेत्र में, पांच या अधिक आवासीय भवनों/प्लेट या पांच हजार वर्ग फुट से अधिक के किसी व्यावसायिक भवन के निर्माण करने हेतु या विक्रय के लिए या किराए या लीज पर देने के लिये लाते हैं या मंगवाते हैं और जिनके द्वारा ऐसे माल पर मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) के अधीन कर नहीं चुकाया गया हो;

(2) निम्नलिखित माल :—

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट माल को,  
अधिसूचित करती है.

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2010 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. ए-3-2-2010-1-पांच(40).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-2-2010-1-पांच (40), दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

No. F-A-3-2-2010-1-V(40).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby notifies for the purpose of the said sub-section :—

- (1) Persons bringing or causing to be brought into a local area within the State of Madhya Pradesh goods specified in clause (2) below, for constructing five or more residential houses/flats or a commercial building of more than five thousand square feet, for sale or for letting out on rent or lease and in whose hands such goods have not borne tax under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) ;
- (2) The following goods :—

The goods specified in Schedule II of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002).

2. This notification shall come into force with effect from 1st April 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ-ए-3-2-2010-1-पांच(41).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निर्दिष्ट करती है कि धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन प्रवेश कर इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 40, दिनांक 31 मार्च 2010 द्वारा धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन व्यक्तियों द्वारा और अधिसूचित माल के संबंध में मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की अनुसूची-दो के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट दर से देय होगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2010 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ-ए-3-2-2010-1-पांच(41).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-2-2010-1-पांच (41), दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

No. F-A-3-2-2010-1-V(41).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby directs that entry tax under sub-section (2) of Section 3, shall be payable at the rates specified in column (3) of Schedule II of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) by the persons and in respect of the goods notified under sub-section (2) of Section 3, by this department's notification No. 40, dated 31st March 2010.

2. This Notification shall come into force with effect from 1st April 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ-ए-3-2-2010-1-पांच(42).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिए,—

- (1) व्यापारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति जो नीचे खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट किए गए माल को, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर किसी स्थानीय क्षेत्र में लाते हैं या मंगवाते हैं और जिसने ऐसे माल पर मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) के अधीन कर नहीं चुकाया हो;
- (2) निम्नलिखित माल :—

(एक) संगमरमर

(दो) ग्रेनाईट

अधिसूचित करती है.

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2010 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. ए-3-2-2010-1-पांच (42).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-2-2010-1-पांच (42), दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

No. F-A-3-2-2010-1-V(42).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby notifies for the purpose of the said sub-section :—

- (1) Persons other than dealer bringing or causing to be brought into a local area within the State of Madhya Pradesh goods specified in clause (2) below and in whose hands such goods have not borne tax under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002);

(2) The following goods :—

- (i) Marble
- (ii) Granite

2. This notification shall come into force with effect from 1st April 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ-ए-3-2-2010-1-पांच (43).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निर्दिष्ट करती है कि धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन प्रवेश कर इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 42, दिनांक 31 मार्च 2010 द्वारा धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन व्यापारियों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा और अधिसूचित माल के संबंध में 2 प्रतिशत की दर से देय होगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2010 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ-ए-3-2-2010-1-पांच(43).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-2-2010-1-पांच (43), दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

No. F-A-3-2-2010-1-V(43).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby directs that entry tax under sub-section (2) of Section 3, shall be payable at the rate of 2 percent by the persons other than dealer and in respect of the goods notified under sub-section (2) of Section 3, by this department's notification No. 42, dated 31st March 2010.

2. This Notification shall come into force with effect from 1st April 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. YADAV, Addl. Secy.